कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म0प्र0)

परिपत्र

क्रमांक- 08 /दो–22–3/62 सागर, दिनॉक– 17/10/2023

प्रायः देखने में पाया गया कि शासकीय सेवक/कार्यसेवक/सेविका नियुक्ति के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् यदि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध अथवा निराकृत होता है तो उसकी जानकारी कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर में प्रस्तुत नहीं करते है, जो उचित नहीं है।

इस प्रकार की जानकारी प्रत्येक कार्यसेवक/कार्यसेविका/कर्मचारी का कर्त्तव्य है कि **म0प्र0 सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 20 के उपनियम 2** के अनुसार कार्यालय की ओर तत्काल सूचित नहीं करते जो नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

न्यायालयों में किसी कार्यसेवक/सेविकागण का यदि प्रकरण लंबित है या निराकरण किया जाता है तो न्यायालय द्वारा कार्यालय प्रमुख की ओर जानकारी प्रेषित नहीं की जा रही है।

जिला मुख्यालय एवं बाह्य तहसील न्यायालयों में पदस्थ कार्यसेवक/सेविकागण कर्मचारीगण के विरूद्ध न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा आपराधिक लंबित प्रकरण/निराकृत हुये प्रकरण की प्रतिलिपि कार्यालय में अविलंब प्रेषित की जावे।

अतः कार्यसेवक/सेविकागण को निर्देशित किया जाता है कि सेवा में आने के बाद उनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध होने, गिरफ्तारी होने, अभियोगपत्र प्रस्तुति व निर्णय की दशा में अविलंब यथासंभव 03 दिवस में समस्त विवरण सहित जानकारी कार्यालय में दें। समयावधि में जानकारी प्रस्तुत ना किये जाने पर **म0प्र0 सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 20 के उपनियम 2** के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

भविष्य में भी उक्त परिपत्र में जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

–Sd–

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म0प्र0)

4887

पृ0क्रमांक– /दो–22–3/62 सागर, दिनॉक–17/10/2023

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय सागर
2. समस्त पीठासीन अधिकारी जिला मुख्यालय सागर एवं बाह्य तहसील न्यायालय
3. जिला मुख्यालय सागर एवं बाह्य तहसीलों में पदस्थ समस्त तृतीय/चतुर्थ एवं आकस्मिकता निधि कर्मचीगण

   की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट सागर की ओर सर्वसंबंधित की ओर ईमेल के माध्यम से भिजवाये जाने हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म0प्र0)